O/o. E.D. (EITC)
CSPDCL Raipur
Receipt No. ......CPTCL
Date 04 JAN 2024
Addl.CE ....
SE ....
EE ....
Section ....

4035

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

सी.आई.एन:— U40108CT2003SGC015820

O/o ED (HR), CSPTCL, Raipur

क्रमांक :— 01—01/अ.अ./26/2023/73 रायपुर, दिनांक 03 JAN 2024

(अपील प्रकरण कमांक 26/2023)

श्री नागेश्वर राव अपीलार्थी
भिलाई

विरूद्ध

श्री पंकज सिंह परमार उत्तरवादी
जनसूचना अधिकारी

—:: आदेश ::—

(दिनांक 03-01-2024 को पारित)

अपीलार्थी श्री नागेश्वर राव ने यह अपील जनसूचना अधिकारी, सह उप महाप्रबंधक (मा.सं.)—दो, के निर्णय दिनांक 22.11.2023 से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत की है।

(2) — प्रकरण से संबंधित तथ्य सारणीबद्ध रूप में निम्नानुसार है :—

(I)	सूचना का अधिकार के अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी/दस्तावेज :—	पारेषण कंपनी के कार्यालय में पदस्थ श्री द्वारिका प्रसाद तिवारी कार्यालय प्रबंध संचालक के कार्यालय में पदस्थ है एवं श्री विमलेश कुमार पटेल कार्यालय मानव संसाधन तथा श्री राजेन्द्र कुमार कुशवाहा कार्यालय— मुख्य अभियंता (सिविल) में पदस्थ है पारेषण कंपनी के अधीन तीनों कर्मचारी पदस्थ है। इन तीनो कर्मचारी का नियुक्ति के समय प्रस्तुत अंकसूची एवं निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति प्रदाय करायी जाए एवं आपके द्वारा इसकी जॉच करायी जाये। जॉच नहीं कराने की दशा में उच्च न्यायालय में प्रकरण दायर किया जावेगा।	
(II)	जनसूचना अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी की अपील व कारण :—	आवेदन दिनांक 17.10.2023 में मांगी गई जानकारी आज दिनांक तक नहीं दिया गया है। आपके कार्यालय में पदस्थ तीनों कर्मचारियों के द्वारा फर्जी अंकसूची एवं निवास प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे है। अगर फर्जी अंकसूची के आधार पर नौकरी नहीं कर रहा है तो उसकी छायाप्रति देने में क्यों रोक लगाया गया है।	
(iii)	अपील की सुनवाई तिथि —	निर्धारित तिथि	कार्यवाही विवरण :—
		21.12.2023	जनसूचना अधिकारी उपस्थित हुए किन्तु अपीलार्थी अनुपस्थित रहें। अतः प्रकरण में गुण—दोष के आधार पर एकपक्षीय सुनवाई की कार्यवाही की गई।
(IV)	जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रकरण में की गयी कार्यवाही तथा तर्क/कथन :—		अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी प्रबंधक (मा.सं.)—चार एवं कार्या0—मुख्य अभियंता (सिविल), ट्रांस. कंपनी के नियंत्रण एवं प्रभार में होने के कारण धारा 5(4)(5) के अनुसार सहायता ली गई। उक्त धारा के पालनार्थ प्राप्त सूचना के आधार पर अपीलार्थी को पत्र कमांक 5927 दिनांक 22.11.2023 के माध्यम से निर्धारित समयावधि के भीतर दिये गये पते पर स्पीड—पोस्ट के माध्यम से अवगत कराया गया कि चाही गई जानकारी तृतीय पक्ष की गोपनीय सूचना है। अतः धारा 11(1) के अंतर्गत तीसरी पार्टी को सूचना प्रकट किये जाने के पूर्व संबंधित से जानकारी दिये जाने अथवा नहीं दिये जाने के संबंध में

			सहमति/असहमति प्राप्त किये जाने का प्रावधान है। तत्संबंध में तीनों कर्मचारियों द्वारा अपनी व्यक्तिगत जानकारी को किसी तृतीय पक्ष को प्रदाय किये जाने के संबंध में असहमति व्यक्त किया गया है। अतः जानकारी व्यक्तिगत होने के कारण धारा 8(1)J के तहत दिये जाने की बाध्यता नहीं है तथापि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील प्रकरण कमांक 10044/2010 अन्य विरूद्ध दिनांक 13.11.2019 CPIO, Supreme Court Of India V/S Subhash Chandra Agrawal के प्रकरण में पारित निर्णय के अनुसार तृतीय पक्ष से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी देने की बाध्यता नहीं है। उपरोक्त के दृष्टिगत जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। चूंकि वांछित दस्तावेज परव्यक्ति से संबंधित है। जिसमें किसी प्रकार की लोक गतिविधि सन्निहित नहीं है। धारा 8(1)(ञ) के अंतर्गत व्यक्तिगत जानकारी जिसके प्रकटन से किसी तृतीय पक्ष की गोपनीयता प्रभावित होती हो देने की बाध्यता नहीं है।

(3) – प्रकरण में आये तथ्यों एवं तर्को से ऐसा प्रतीत होता है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर जो कार्यवाही की गई है वह तर्कसंगत है, जो स्वीकार्य है।

तालिका (1) में अपीलार्थी द्वारा मांगी गई दस्तावेज तृतीय पक्ष से संबंधित है। चूंकि तृतीय पक्ष से संबंधित दस्तावेज को प्रकट किये जाने के पूर्व लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह सूचना को प्रकट करने अथवा न करने पर विचार करेगा। ऐसे मामलों में मार्गदर्शी सिद्धांत यह है कि यदि प्रकटन से तृतीय पक्ष को संभावित हानि की अपेक्षा बृहत्तर लोकहित साधता हो तों प्रकटन की स्वीऔति दे दी जाए बशर्ते कि सूचना कानून द्वारा संरक्षित व्यावसायिक अथवा वाणिज्यिक रहस्यों से संबंधित न हो।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रकरण में धारा 11(1) के पालनार्थ तीसरी पार्टी को सूचना प्रकट किये जाने के पूर्व संबंधित कर्मचारियों से उचित सहमति/असहमति प्राप्त किया गया है। तीनों कर्मचारियों द्वारा वांछित जानकारी के प्रकटन के संबंध में अपनी असहमति व्यक्त किया गया है। अतएव धारा 11(1) के पालनार्थ जानकारी व्यक्तिगत होने के कारण धारा 8(1)J के अंतर्गत दिये जाने की बाध्यता नहीं है। तथापि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील प्रकरण कमांक 10044/2010 अन्य विरूद्ध दिनांक 13.11.2019 CPIO, Supreme Court Of India V/S Subhash Chandra Agrawal के प्रकरण में तृतीय पक्ष से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी देने की बाध्यता नहीं है आदेश पारित किया गया है।

उल्लेखित तथ्यों के दृष्टिगत जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रकरण में की गई कार्यवाही विधिसंगत है। उसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतएव तदनुसार अपील समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

31/12/24

(अशोक कुमार वर्मा)
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक– 0771–2574700

प्रतिलिपि :– (1) जनसूचना अधिकारी सह उप महाप्रबंधक (मा0सं0)– दो, छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर ।
(2) श्री नागेश्वर राव, हरी ओम किराना स्टोर, काली मंदिर रोड़ मार्ग, सत्संग विहार के पास, पंचशील नगर, पश्चिम चरोदा, जिला –दुर्ग (छ.ग.) पिन – 490025 ।
(3) कार्यपालक निदेशक (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर –उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छ0 ग0 सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पता :– सचिव, छ0 ग0 राज्य सूचना आयोग, नवा रायपुर ।